

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैगल्स रोड), बिहार, पटना-800015

दूरभाष सं.- 0612-2217956
फैक्स:- 0612-2215611 / 2215978
ई-मेल:-ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक: Exp-07/2021

2389

पटना, दिनांक ३ जुलाई, 2021 ई०।

प्रेषक

मिथिलेश कुमार साहु

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में

अध्यक्ष/सचिव

दल का नाम— Bhartiya Lok Nayak Party

पता— Center Office : Vill.-Nauwapali,P.O. –
Chakra,Distt.Siwan,Bihar-841226

(अमान्यता प्राप्त किन्तु रजिस्ट्रीकृत दल जिनका कार्यालय बिहार राज्य में स्थित है)।

विषय:- दल संबंधी निधियों तथा निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता और लेखाकान पर दिशा-निर्देश-अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण के संबंध में।

- प्रसंग:-
- (1) भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29 अगस्त, 2014
 - (2) भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014.
 - (3) भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2014.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ किया जाये। भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29 अगस्त, 2014 एवं पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2014, जो सीधे सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव एवं कोषाध्यक्ष को सम्बोधित हैं, द्वारा राजनीतिक दलों के निधियों एवं निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता और लेखाकान पर दिशा-निर्देश दिये गये हैं। भारत निर्वाचन आयोग के अधिसूचना सं-56/2019/PPS-III दिनांक 15.03.2019 के क्रमांक 2525 पर रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल (अमान्यता प्राप्त) के रूप में अंकित पता बिहार राज्य में अवस्थित है। उक्त अधिसूचना में अंकित पता बिहार राज्य में अवस्थित है।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 द्वारा निर्देशित किया गया है कि अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल निम्नलिखित रिपोर्ट/विवरण उस राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे, जिस राज्य में राजनीतिक दल का मुख्यालय अवस्थित है:-

- (क) फार्म 24 के में अंशदान रिपोर्ट (Contribution Report in Form 24A)
- (ख) वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखा (Annual Audited Account)
- (ग) निर्वाचन व्यय रिपोर्ट/विवरण (Statement of Election Expenditure)

अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा उक्त रिपोर्ट/विवरण को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तारीख निम्न अनुसार होगी:-

- (1) अंशदान रिपोर्ट (फार्म-24क में) — अंशदान रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर या आयकर विवरणी दाखित करने के लिए सी०बी०डी०टी० द्वारा यथा-विस्तारित वैसी तारीख तक।
- (2) वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखा — प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक।
- (3) निर्वाचन व्यय का विवरण — विधान सभा निर्वाचन के पूरा होने के 75 दिनों और लोक सभा निर्वाचन के पूरा होने के 90 दिनों के भीतर।


उक्त पत्र की कड़िका-3(iv) में अंकित है कि रिपोर्ट/विवरण को जमा कराने में हुई चूक संबंधी मामले में संबोधित राजनीतिक दलों को इस संबंध में पत्र लिखकर उनके ध्यान में लाना चाहिए और इस पत्र को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाईट पर डाला जाना चाहिए।

आपके स्तर से वर्ष 2020 का प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। फलस्वरूप उक्त पत्र नोटिस के रूप में निर्गत है और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के वेबसाईट <http://ceobihar.nic.in> पर यथा स्थान संघारित है।

अतः निवेशानुसार अनुरोध है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में विहित समय एवं रीति के अनुसार वांछित रिपोर्ट/विवरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में जमा कराने की कृपा की जाये।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासमाजन,


(मिथिलेश कुमार साहु)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

अनुलग्नक-च4

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001

स० : 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013

दिनांक : 29 अगस्त, 2014

सेवा में,

1. सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष / महा सचिव
2. सभी राजनीतिक दलों के कोषाध्यक्ष

विषय: दल की निधियों एवं निर्वाचन व्यय मामलों में पारदर्शिता एवं लेखांकन पर दिशा-निर्देश-तत्संबंधी।

महोदय / महोदया,

संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचित करवाने का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन अयोग में निहित है। विभिन्न क्षेत्रों से चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं कि धन बल एक समान अवसर में अवरोधक बन रहा है और निर्वाचनों की शुद्धता दूषित कर रहा है। निर्वाचनों के दौरान धन बल के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग ने समय-समय पर अन्यथियों एवं राजनीतिक दलों को पूर्व में अनेक अनुदेश जारी किए हैं।

2. राजनीतिक दलों से यह अपेक्षित है वे निर्वाचनों के दौरान एवं अन्य समय, दोनों में, जुटाई गई निधियों एवं उपगत व्यय के संबंध में पारदर्शिता एवं लेखांकन का ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के आयोजन के संबंध में यह आवश्यक और व्यावहारिक है कि राजनीतिक दलों की निधियों के संबंध में पारदर्शिता लाने एवं लेखांकन के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाए जाएं।

3. दिशा-निर्देशों को प्रतिपादित करने के संबंध में, आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से टिप्पणी / सुझाव / इनपुट्स मांगे हैं। इन दलों में से अधिकतर ने पारदर्शिता संबंधी दिशा निर्देशों के मुद्दे का समर्थन किया है जबकि कुछ अन्यों के भिन्न मत थे। राजनीतिक दलों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए और निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता के हित में, आयोग ने राजनीतिक दलों को निधियन में पारदर्शिता लाने एवं लेखांकन के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निम्नलिखित दिशा निर्देश एतद्वारा जारी किए हैं:-

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क का परन्तुक (क), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित करता है कि राजनीतिक दल लेखों की ऐसी पुस्तकें रखेंगे और अनुरक्षित करेंगे जिसमें से उनकी आय से उचित कटौती की जा सके। तद्वारा, यह अपेक्षित है कि (क) राजनीतिक दल का

कोषाध्यक्ष या ऐसा व्यक्ति जो दल के द्वारा प्राधिकृत है, सभी राज्य और नीचले स्तरों के लेखों के अनुरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, दल के केन्द्रीय मुख्यालय में समेकित लेखों का, उपरोक्त प्रावधान के अधीन, अपेक्षित रीति से अनुरक्षण करेगा (ख) उसके द्वारा अनुरक्षित लेखों को द इन्सीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट ऑफ इण्डिया (आई सी ए आई) द्वारा जारी राजनीतिक दलों के लेखांकन एवं लेखा-परीक्षण पर मार्गदर्शी नोट के अनुसार होना होगा और (ग) वार्षिक लेखा, योग्यता प्राप्त पेशेवर चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा लेखा-परीक्षित एवं प्रमाणित किया जाएगा।

- (ii) आयोग ने नए राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं में 8 अक्टूबर, 2010 से संशोधन किया है जिसमें दल को, अन्य बातों के साथ-साथ, अपने परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति जमा करवानी अपेक्षित है। तद्वारा, एकरूपता लाने के लिए, सभी राजनीतिक दल आयोग को या नीचे पैरा (गप) में उल्लेखित ऐसे प्राधिकारी को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ परीक्षित, वार्षिक लेखों की एक प्रति प्रत्येक वर्ष 3। अक्टूबर से पहले प्रस्तुत करेंगे।
- (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी जी वी एवं 80 जी जी सी के प्रावधान में, अन्य बातों के साथ-साथ यह वर्णित है कि किसी व्यक्ति या कम्पनी द्वारा नकदी के रूप में राजनीतिक दल को किए गए अंशदान में से कोई भी कटौती करने के अनुमति नहीं दी जाएगी। तद्वारा, राजनीतिक दल अपनी जन सभाओं के दौस्थन जनता द्वारा दान की गई खुदरा राशियों को छोड़कर, सभी ऐसे व्यक्तियों, कम्पनियों या इकाईयों के नाम एवं पते का अनुरक्षण करेंगे जो उनको दान देते हैं। इसके अतिरिक्त, नकदी के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की राशि/दान संबंधित लेखा पुस्तक में विधिवत् रूप से लेखांकित किया जाएगा एवं इसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर, दल के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। यद्यपि, दल के दिन-प्रतिदिन की कार्य पद्धति के लिए एवं नकद व्यय के भुगतान के लिए, दल अपेक्षित यथोचित राशि रख सकता है।
- (iv) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क (3) यह उपबंधित करता है कि आयकर नियम, 1962 के नियम 6 घ घ में यथा उपबंधित छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर, किसी भी व्यापारिक इकाई द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन में रु. 20,000/-* से अधिक के सभी भुगतान अकाउण्ट पेई चैक/ड्राफ्ट द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार, यदि कोई दल किसी प्रकार का व्यय कर रहा है तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि रु. 20,000 /-* से अधिक के कोई भी भुगतान एक दिन में किसी व्यक्ति या कम्पनी या इकाई को नकदी के रूप नहीं किया जाए, सिवाय जहां (क) भुगतान किसी गांव या नगर में किया जाता है जहां पर बैंक की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं; या (ख) भुगतान किसी कर्मचारी या दल के कार्यकर्ता को वेतन, पेशन या उसके व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाता है; या (ग) किसी विधि के अधीन नकद भुगतान अपेक्षित है।
- (v) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(3) किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की उच्चतम सीमा को उपबंधित करती है। अतः, यदि दल अपने अभ्यर्थियों को उनके निर्वाचन व्यय में कोई

वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना चाहता है तो यह सहायता निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगी। दल द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार का भुगतान केवल क्रॉस अकाउण्ट पेर्स चैक या ड्राफ्ट या बैंक अकाउण्ट ट्रान्सफर के माध्यम से किया जाएगा न कि नकदी के रूप में।

- (vi) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल सभी रिपोर्ट अर्थात् फार्म 24क में अंशदान की रिपोर्ट, उपरोक्त पैरा 3(प) में संदर्भित चार्टर्ड अकाउण्टेंट द्वारा यथा प्रमाणित लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, और निर्वाचन व्यय विवरण निर्वाचन आयोग के पास दाखिल करेंगे जबकि गैर मान्यता प्राप्त दल यह सब संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी ई ओ) (अर्थात् जहां दल का मुख्यालय स्थित है) के पास निर्धारित समय एवं रीति से दाखिल करेंगे।
4. उपर्युक्त दिशा-निर्देश सभी राजनीतिक दलों पर 01 अक्टूबर, 2014 से लागू होंगे।

भवदीय,
ह./-

(मलय मल्लिक)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इसे अपने संबंधित राज्यों के सभी राजनीतिक दलों के नोटिस में लाया जाए।
2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को राजनीतिक दलों के लिए उपर्युक्त नियम बनाने के संदर्भ में।
3. अध्यक्ष, इन्सीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट ऑफ इण्डिया, आई सी ए आई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, बाक्स नं. 7100, नई दिल्ली-110002 को राजनीतिक दलों के मार्गदर्शी नोट पर बिन्दुओं को शामिल करने के संदर्भ में।

*कृप्या अनुलग्नक- डॉ9 और अनुलग्नक- डॉ10 को देखें।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/पी पी ई एम एस/पारदर्शिता/2013

दिनांक : 19 नवंबर, 2014

सेवा में

1. सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव
2. सभी राजनैतिक दलों के कोषाध्यक्ष

विषय : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 29.08.2014 को जारी राजनैतिक दलों के लिए पारदर्शिता दिशा-निर्देशों का स्पष्टीकरण-तत्त्वांबंधी मामला।

महोदय/महोदया

आयोग के दिनांक 29.08.2014 के पत्र संख्या 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 का कृपया संदर्भ लें जिसमें आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 का अवलंबन लेते हुए राजनैतिक दलों के लिए पारदर्शिता दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग की शक्तियों के बारे में संदेह करते हुए कुछ पार्टियों की ओर से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन्होंने कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा है। अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित मामलों पर एतद्वारा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है :

1. संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन, आयोग के पास सर्वांगीण शक्तियां हैं और देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों का संचालन कराना इसका पवित्र कर्तव्य है। हाल ही में, निर्वाचन अभियानों में काले धन के बढ़ते हुए प्रयोग की सूचनाएं मिली हैं जोकि चारों ओर गहरी चिंता का विषय है। निर्वाचनों में काले धन का प्रयोग अभ्यर्थियों को एक समान अवसर देने में बाधा उत्पन्न करने के साथ-साथ निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करता है। अतः, संविधान में यथा प्रतिष्ठापित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन और निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता के संरक्षण के उद्देश्य से पारदर्शिता दिशा-निर्देशों की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में विधिक शून्यता थी जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है, जैसा कि मोहिन्द्र सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (एआईआर 1978 एस सी 851) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिधरित किया गया था।
2. इन दिशा निर्देशों को सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात ही तैयार किया गया था। इस प्रकार से, अनुच्छेद 324 के अधीन आयोग द्वारा जारी विधियुक्त अनुदेश सभी राजनैतिक दलों पर बाध्यकारी हैं और उनका उल्लंघन निर्वाचन प्रक्रिया, जो कि किसी भी लोकतंत्र की आधार शिला है, की पारदर्शिता को प्रभावित करेगा।
3. राजनैतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनैतिक दलों को वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों को अनिवार्य रूप से आयोग को दाखिल करने के अनुदेश दिए गए हैं, जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों हेतु आवश्यक घटक हैं। ऐसे व्यक्तियों, कम्पनियों तथा हस्तियों का नाम और पता रखने के निदेश दिए गए हैं जो राजनैतिक दलों को चंदा देते हैं, इसका अभिप्रेत यह सुनिश्चित करना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ख में यथा अनुबद्ध निषिद्ध स्त्रोंतों से राजनैतिक दलों द्वारा कोई पूंजी प्राप्त नहीं की जा रही है। तथापि, आयोग लोक बैठकों/रैलियों में राजनैतिक दलों द्वारा

हुंडी/बकेट कलेक्शन के माध्यम से पूजी जुटाने की कार्यप्रणाली के संबंध में सचेत हैं, जहां दान देने वालों के नाम व पते का रिकार्ड रखना संभव नहीं होता। अतः आयोग ने ऐसी वर्गीयों को उपर्युक्त अनुदेशों की परिधि से बाहर रखा है। सार्वजनिक बैठकों/रैली में हुंडी/बकेट कलेक्शन के माध्यम से एकत्र किए गए चंदे को छोड़कर, सभी चंदों के मामले में राजनैतिक दल द्वारा प्रत्येक दान देने वाले के नाम व पते का रिकार्ड रखा जाना अपेक्षित होता है जैसा कि अन्य सभी सामाजिक/सिविल सोसाइटी/संगठनों द्वारा किया जाता है।

4. रोजमरा खर्च होने वाली अपेक्षित राशि को छोड़कर राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त की गई नकदी 10 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर उनके बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि रोजमरा के होने वाले खर्च के प्रयोजनार्थ पंजीकृत राजनैतिक दल के हाथ में कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पार्टी के औसत मासिक नकदी व्यय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. सभी राजनैतिक दल माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अनुबद्ध लोक सभा निर्वाचनों के 90 दिनों के अंदर या विधान सभा निर्वाचन के 75 दिनों के अंदर भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत करेंगे और इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि पार्टियां नियत समय सीमा के अंदर अपने निर्वाचन व्यय का वास्तविक एवं यथातथ्य विवरण दाखिल करें। चूंकि, सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के बैंक खाते हैं और सभी को संयुक्त रूप से प्रोत्साहित करने हेतु बैंक की विस्तारित सेवाएं हैं, उपरोक्त पारदर्शिता दिशा-निर्देश के पैरा (IV) में यथा उल्लिखित भुगतान के अतिरिक्त सभी दल किसी व्यक्ति या हस्ती को एक ही दिन में 20,000 रु. से अधिक का भुगतान एकाउंट पेइ चैक या ड्रापट या एकाउंट ट्रांसफर द्वारा करेंगे। इससे निर्वाचनों के दौरान नकदी के अत्याधिक प्रवाह को रोकने में मदद मिलेगी और यह पार्टियों के निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता भी लाएगा।

6. आयोग का यह प्रयास रहा है कि निर्वाचनों के दौरान सभी राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को निर्वाचन लड़ने हेतु समान अवसर उपलब्ध हों। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के हित में सभी पार्टियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग द्वारा जारी पारदर्शिता दिशा निर्देशों का अनुसरण करें और आयोग के विधिपूर्ण नियों के उल्लंघन पर निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 16क के अधीन यथा परिकल्पित कार्रवाई होगी।

भवदीय

(मलय मल्लिक)
अवर सचिव

अनुयंप-93
स्पीड प्रिंट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014

दिनांक : 14 अक्टूबर, 2014

सेवा मं.

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : दल संबंधी निधियों तथा निर्वाचन व्यय में पारदर्शिता और लेखाकंन पर दिशा-निर्देश-अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण-तत्संबंधी।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आयोग के दिनांक 29 अगस्त, 2014 के समसंबंधीक पत्र के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल निर्धारित समय के अंदर तथा विधि के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग को सभी रिपोर्ट यथा: (क) फार्म 24 में अंशदान रिपोर्ट, (ख) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षित वायिक लेखे (ग) निर्वाचन व्यय विवरण जमा करवाएंगे जबविधि अमान्यता प्राप्त दल यही सब रिपोर्ट संबंधित राज्य (अर्थात् वह राज्य जहाँ पार्टी मुख्यालय स्थित है) के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जमा करवाएंगे। उपरोक्तिवित दिशा-निर्देश 01 अक्टूबर, 2014 से सभी राजनीतिक दलों को लागू हो गए हैं (प्रति संलग्न)।

2. उपर्युक्त के अवलोकन में मुझे आपसे यह अनुरोध करने के निर्देश दिए गए हैं कि कआप इसे आयोग की प्रतीक आदेश अधिसूचना के अनुसार ऐसे सभी राजनीतिक दलों जिनका राज्य में मुख्यालय है जिन्होंने पत्र व्यवहार के लिए अधिकारिक पते दिए हुए हैं, के ध्यान में लाएं ताकि वे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। (आयोग की दिनांक 10.03.2014 की प्रतीक आदेश अधिसूचना दिनांक 16.09.2014 की संशोधन अधिसूचना और दिनांक 26.09.2014 का पत्र सं. 56/2014/पीपीईस-II की प्रति तुरंत संदर्भ के लिए एतद्वारा संलग्न किए जा रहे हैं)।

3. राज्यीय स्तर के अमान्यता प्राप्त दलों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

- (i) अंशदान रिपोर्ट, शीर्षिक लेखा परीक्षित लेखों तथा निर्वाचन व्यय के विवरणों की स्कैनड प्रतियों को उनकी प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर जनता के दर्शनार्थ संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की घेयसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसे "राज्यीय स्तर राजनीतिक दलों की रिपोर्ट और लेखा विवरण," जिसका लिंक "वर्तमान खबरें" से होगा, के शीर्ष के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
- (ii) अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा जमा कराई गई रिपोर्ट/विवरणों की सूची यो समेकित करके उनकी प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर, एतद्वारा संलग्न प्रारूप (अनुयंप-क, य, ग) के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी की घेयसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यिसी भी राजनीतिक दल से विवरण/रिपोर्ट की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर जिला

निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा इस सूची का आयोगिक अपतत किया जाएगा। संवंधित पार्टी की रिपोर्ट/विवरण की स्कैनड प्रतियों का स्टेटस रिपोर्ट के साथ लिंक होना चाहिए।

(iii) राजनैतिक दलों द्वारा रिपोर्ट/विवरणों को जमा कराने की अंतिम तारीख निम्न अनुसार होगी :

1. अंशदान रिपोर्ट-आयकर विवरणी भरने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर या कंट्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर द्वारा आगे बढ़ाई गई ऐसी कोई तारीख
2. वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे-प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर
3. निर्वाचन व्यय का विवरण-विधान सभा निर्वाचन की समाप्ति के 75 दिनों के अंदर और लोक सभा विष्कर संवंधित छूक को उनके द्व्याल में लाना चाहिए और इस प्रत्र को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की घोषणा पर डाला जाना चाहिए।

(iv) रिपोर्ट/विवरणों को जमा करने में हुई घूक संबंधी मामले में संवंधित राजनैतिक दलों को इस संघर्ष में प्रभावित होने की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर लिखकर संवंधित छूक को उनके द्व्याल में लाना चाहिए और इस प्रत्र को मुख्य निर्वाचन अधिकारी की घोषणा पर डाला जाना चाहिए।

(v) अंशदान रिपोर्ट की प्रति को संवंधित राज्य के आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त को भी अग्रेशित किया जाएगा जिसमें राजनैतिक दल द्वारा ऐसी रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख होगा। जिन पार्टीयों ने समय पर अंशदान रिपोर्ट को जमा नहीं कराया है उनका आयकर विभाग द्वारा लोक प्रतिलिपित्व अधिलियम, 1951 की धारा 29ग के अनुरूप उन्हें मिलने वाले टैक्स लाभों को नकारने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(vi) विदेशी अंशदान (विनियम) अधिलियम, 2010 की धारा-2 खंड(1) के अधीन यथा पारिग्राहित विदेशी स्रोतों से प्राप्त किसी भी प्रकार के घोरे के घारे में उस मंत्रालय द्वारा कार्रवाई और संदीक्षा के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भी अंशदान रिपोर्ट अग्रेशित की जानी चाहिए।

मवदीय,
(मलय मल्लिक)
अवर सचिव

प्रतिलिपि प्रेषित:

निदेशक (आई.टी.) मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा इसी आई की घोषणा परिवर्तन करने के लिए।